फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर मुकाम अलवर

सुरेश शर्मा बनाम कल्याण सहाय वगैरा

स्म मुकदमा दावा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट मु0 नं0 ...सन –2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14–3–23	प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वय श्री सुरेश शर्मा पुत्र मदनलाल शर्मा ने उपस्थित होकर प्रस्तुत किया, प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 06–04–2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अलवर	
15-3-23	पत्रावली पूर्व निर्धारित तारीख पेशी से पहले आज प्रार्थी स्वयं के प्रा० पत्र के आधार पर तलब की गई प्रार्थी ने प्रा० पत्र में अंकित किया है कि मिन वादी अपना मौजूदा प्रार्थना-पत्र प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण के खिलाफ चलाना नहीं चाहता है मिन वादी अपना प्रार्थना-पत्र विड्रा करवाना चाहता है मिन वादी का प्रार्थना-पत्र विड्रा किया जाकर दाखिल दफ्तर फरमाया जावे। प्रार्थी को सुना गया काफी मनन करने के उपरान्त प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार करते हुये प्रार्थी प्रार्थना-पत्र विड्रा करने की अनुमति प्रदान की जाकर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर ले कम्प्यूटर के बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे। उपखण्ड अधिकारी अलवर	

Scanned with OKEN Scanner